



महत्वपूर्ण/आवश्यक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी-30 डिफेंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष: 0135-2666778, 2666779

ईमेल: uicddn@gmail.com

संख्या: 4573/उ.सू.आ./2012

दिनांक: 20/03/2012

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, देहरादून / नैनीताल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
5. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

विषय : लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपीलों की सूचना विषयक.

महोदय/महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2010 - 11 तथा वर्ष 2011 - 12 के वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया है. उपरोक्त वार्षिक प्रतिवेदनों में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर सूचना का अधिकार के प्रयोग के संबंध में विश्लेषित जानकारी के संबंध में भी एक अध्याय दिया जाना प्रस्तावित है.

2. कृपया पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर वांछित सूचना को लोक प्राधिकारीवार एवं वर्षवार पूर्ण कर आयोग को **विलम्बतम 15/04/12** तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे प्राप्त सूचनाओं / आंकड़ों को भी आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया जा सके.

3. जिन लोक प्राधिकारियों के स्तर से उपरोक्त सूचनायें समय से प्राप्त नहीं होंगी उनके संबंध में आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों पर तदनुसार **“सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी”** अंकित कर प्रतिवेदनों को अंतिम कर लिया जायेगा.

संलग्नक : उपरोक्तानुसार.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त